UPET120005842020

न्यायालय- सिविल जज (जू.डि.) जलेसर, एटा।

उपस्थित : दीक्षा यादव, उ०प्र० न्यायिक सेवा (ID-UP02592)

दाण्डिक प्रकीर्णवादसंख्या -89 सन 2022

अनिल कुमार ----बनाम---- राजीव कुमार आदि

धारा 498 ए, 323 भा.दं.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना अवागढ़, जिला एटा।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3 ग 1 धारा 340 दं०प्र०सं०

16.11.2022

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। पूर्व में आवेदक अनिल कुमार के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 दं०प्र०सं० पर सुना जा चुका है।

आवेदक अनिल कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र 3 ग 1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त केस में प्रार्थी वादी है तथा वादी की बहिन श्रीमती रेखा पीड़िता है। उपरोक्त केस में मुल्जिम राजीव द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उसमें राजीव द्वारा गलत रूप से झूंठा व मिथ्या शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जैसा कि राजीव ने अपने शपथपत्र के मद संख्या 3 उल्लेखित किया है कि "आवेदक अपनी पत्नी रेखा की शादी से पूर्व आपस में प्यार करते थे तथा दिनांक 15.01.2015 को बिना दान दहेज के रेखा से शादी की।" शपथपत्र राजीव द्वारा मिथ्या व मनगढन्त रूप से प्यार करने वाली बात उल्लेखित की है जिसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल न्यायालय को गुमराह करने की गरज से यह फर्जी शपथपत्र दिया ताकि न्यायालय से मिथ्या शपथपत्र देकर लाभ अर्जित कर सके। इस प्रकार अभियुक्त की धारा 167 भा.दं.सं. का अपराध किया है उक्त द्वारा उसने प्रार्थी की बहिन श्रीमती रेखा को क्षति पहुंचाई है बहिन रेखा के स्वाभिमान व सम्मान को ठेस पहुंची है। शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सात फेरे लेकर की गयी है तथा शादी कार्ड भी वितरित हुये है वाकायदा विधि विधान से शादी की गयी है। शादी से पूर्व दोनो लोगों में कोई प्रेम सम्बन्ध नहीं थे। शपथपत्र में अभियुक्त राजीव द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथपत्र देते हुये जमानत प्रार्थना पत्र में लिखा है कि बिना दहेज की शादी की है, लेकिन शादी से पूर्व दिनांक 26.11.2014 को प्रार्थी के पिता द्वारा अपने

खाता संख्या 131010100006978 से ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त बैंक द्वारा राजीव के खाते में मु०-1,75,000/- रूपये हस्तान्तरण बतौर दहेज किये गये है जो पत्रावली में उपलब्ध है तथा एक बुलेरो कार यू०पी० 80 बी०सी० 6992 शादी से दो दिन पूर्व दिनांक 13.01.2015 को दहेज में दी गयी है। शादी के अन्य काफी दहेज दिये गये है। जब कि अभियुक्त राजीव द्वारा मिथ्या साक्ष्य के रूप में न्यायालय में गलत शपथपत्र दिया गया है कि शादी बिना दान दहेज के हुई है। इसलिये अभियुक्त राजीव के खिलाफ धारा 340 जा०फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त केस में जमानत प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय में झूंठा व फर्जी गलत रूप से दिये गये शपथपत्र पर कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का सम्यक् रूप से परीशीलन किया गया। पत्रावली के परीशीलन से यह विदित होता है कि आवेदक अनिल कुमार द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 45/2018 के अभियुक्त राजीव कुमार द्वारा उपरोक्त वर्णित मुकदमें में जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को झूंठा व फर्जी तरीके से दिये जाने तथा उस आधार पर शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने के बावत प्रस्तुत किया गया है। धारा 340 दं०प्र०सं० यह प्रावधानित करती है कि---

"जब किसी न्यायालय की, उससे इस निमित्त किये गये आवेदन पर या अन्यथा, यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की, जो उसे, यथास्थिति, उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके सम्बन्ध में अथवा उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गयी साक्ष्य में दी गयी दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिये तब ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक जाँच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे।"

उपरोक्त वर्णित धारा 340 दं०प्र०सं० में कार्यवाही अग्रसारित किये जाने हेतु धारा 195 दं०प्र०सं० की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसे में धारा 195 दं०प्र०सं० की उपधारा (1) के खण्ड (ख) का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:-

" भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं अर्थात् 193 से 196 (जिनके अन्तर्गत ये दोनो धाराएँ भी हैं), 199, 200, 205, से 211 (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएँ भी हैं) और 228 में से किन्ही के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में या उसके सम्बन्ध में किया गया है।"

आवेदक अनिल कुमार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा धारा 167 भा.दं.सं. के अपराध कारित किये जाने के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। धारा 167 भा.दं.सं., धारा 195 दं०प्र०सं० की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों में नहीं आता है। धारा 167

भा.दं.सं. के अव्वय के अनुसार लोक सेवक के द्वारा क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचने का कृत्य किया जाना आवश्यक है। विपक्षी राजीव कुमार ना तो लोकसेवक है और ना ही प्रथम दृष्टया ऐसा दर्शित होता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने हेतु असुद्ध दस्तावेज तैयार किया गया है। जहाँ तक प्रश्न आवेदक की बहन रेखा के स्वाभिमान व सम्मान को ठेस पहुंचने की है तो वह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है। ऐसे में प्रार्थना पत्र 3 ग 1 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 3 ग 1 खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(दीक्षा यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०)
जलेसर, एटा।